उत्तर प्रदेश [1][ ] वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976[2]

(The U.P. Protection of Trees Act, 1976)

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1976]

[19 नवम्बर, 197

उत्तर प्रदेश में [3][ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों] में वृक्षों के निपातन और पुनः आरोपण विनियमन की व्यवस्था करने लिए अधिनियम—

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृक्ष संर अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम कतिपय क्षेत्र में लागू न होगा—यह अधिनियम—

---

1. शब्द "ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों" उ०प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 1998 द्वारा निकाल दिया गया।
2. उ०प्र० असाधारण गजट में दिनांक 22 नवम्बर, 1976 को प्रकाशित।
3. शब्द "ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों" उ०प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 1998 द्वारा निकाल दिया गया।

(क) आरक्षित और संरक्षित वन में स्थित वृक्षों पर;

(ख) किसी वन या वन भूमि में स्थित उन वृक्षों पर जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन कोई अधिसूचना प्रवृत्त हो;

[1][(ग) छावनी क्षेत्र में स्थित वृक्षों पर लागू न होगा।

3. परिभाषाएँ—जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(एक) ''रिक्त क्षेत्र'' का तात्पर्य पैमाइश में आधा हेक्टेयर या उससे अधिक के किसी भू-खण्ड से है (जिस पर खेती न होती हो), जिस पर पांच या उससे कम वृक्ष उगे हों;

(दो) ''भूमिसंरक्षण अधिकारी'' का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 में उसके लिए दिया गया है।

(तीन) ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उन कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करे, जो इस अधिनियम द्वारा सक्षम प्राधिकारी पर आरोपित या उसे प्रदत्त है और इमारती लकड़ी वाले, फल वाले और अन्य वृक्षों के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में और विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं;

(चार) ''प्रभागीय वन अधिकारी'' का तात्पर्य किसी वन मण्डल के प्रभारी और उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है;

(पांच) सजातीय पद सहित ''वृक्ष के निपातन'' का तात्पर्य वृक्ष को काटने, गिराने, छाँटने ठूंठ करने या किसी अन्य रीति से क्षति पहुँचाने से है;

(छ) ''राजकीय उद्यान'' का तात्पर्य फल-फूल या सब्जी उगाने या वृक्षों का रोपण या पोषण करने के लिये प्रयुक्त केन्द्रीय या राज्य सरकार के भू-खण्ड से है, और इसमें केन्द्रीय या राज्य सरकार की बाग भूमि भी सम्मिलित है;

(सात) ''पर्वतीय क्षेत्र'' का तात्पर्य जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, चमोली, टेहरीगढ़वाल और उत्तरकाशी तथा नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों और देहरादून जिले की चकराता तहसील व मसूरी नगरपालिका क्षेत्र से है, परन्तु उसमें कोई छावनी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है;

(आठ) ''खाता'' और ''खातेदार'' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० में उनके लिये दिया गया है,

(नौ) ''सार्वजनिक भू-गृहादि'' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में उसके लिए दिया गया है;

(दस) ''पुनरीक्षण प्राधिकारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है;

(ग्यारह) ''वृक्ष'' का तात्पर्य किसी काष्ठीय वनस्पति से है, जिसकी शाखाओं का उद्भव स्थान और अवलम्ब कोई स्कन्ध या निकाय है और जिसके स्कन्ध या निकाय का व्यास

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

धरातल से तीस सेन्टीमीटर की ऊँचाई पर पांच सेन्टीमीटर से कम नहीं है और ऊँचाई धरातल से एक मीटर से कम नहीं है, और क्रमशः पद ''इमारती लकड़ी वाले वृक्ष'' और ''फल वाले वृक्ष'' का तात्पर्य क्रमशः अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट जाति के वृक्ष से है;

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में परिवर्द्धन या परिष्कार कर सकती है।

(बारह) ''नगर क्षेत्र'' का तात्पर्य पर्वतीय क्षेत्र से भिन्न किसी ऐसे क्षेत्र से है जो नगरमहापालिका नगरपालिका बोर्ड, नाटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या विकास प्राधिकारण की सीमा में सम्मिलित हो;

(तेरह) इस अधिनियम में प्रयुक्त और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित, किन्तु इस अधिनियम में अपरिभाषित, ''शब्द और पद'' के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिये गये।

4. वृक्ष के निपातन और अपनयन पर निर्बन्धन—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में जैसी व्यवस्था है, उसके सिवाय, कोई व्यक्ति—

(क) किसी भूमि पर, चाहे वह किसी खाते में सम्मिलित हो या न हो, खड़े किसी वृक्ष को नहीं गिरायेगा;

(ख) उस वृक्ष से, जो बिल्कुल सूख गया है और किसी ऐसी भूमि पर किसी मानवीय साधन के बिना ही गिर गया है भिन्न वृक्ष को नहीं काटेगा, नहीं हटायेगा और अन्य प्रकार से उसका निस्तारण नहीं करेगा।

[1][**5. वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिये अनुज्ञा की प्रक्रिया**—(1) कोई व्यक्ति जो किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के लिए हकदार है, ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, ऐसे खड़े वृक्ष को गिराने या ऐसे किसी गिरे हुए वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र देगा और वह अधिकारी, जिसे ऐसा आवेदन-पत्र दिया जाये, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, बीस दिन के भीतर आवेदन-पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा,

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदित अनुज्ञा देगा या उसे देने से इंकार करेगा।

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन दी गयी रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है तो वह ऐसी अग्रेतर जांच कर सकता है जैसी वह उचित समझे:

परन्तु यह और कि आवेदन को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह भी कि यदि उस वृक्ष से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरा है तो ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायेगा;

---

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 2001 द्वारा धारा 5 व 6 प्रतिस्थापित जो अधिसूचना संख्या 993/17-वि-1-एक(क)-5-2001, दिनांक 30 अप्रैल, 2001 उ०प्र० असाधारण गजट भाग-1 खण्ड (क), दिनांक 10 अप्रैल 2001 में प्रकाशित हुआ।

परन्तु यह भी कि ऐसे क्षेत्र के सिवाय जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाये, ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिये इस दृष्टि से ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिए उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तात्कालिक कार्यवाही की जा सकती है जो किसी अवरोध या अपदूषण को हटाने के लिए या किसी खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो।

(3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है वहाँ यह समझा जायेगा कि आवेदित अनुज्ञा दे दी गयी है।

(4) इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा ऐसी शर्त के अधीन होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में पुनरुत्पादन और वृक्षों के पुन: आरोपण को सुनिश्चित करने के लिये या अन्यथा प्रतिभूत लेना भी है।

[1][6. **सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन**—धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर पुनरीक्षण प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

7. **वृक्षारोपण का दायित्व**—प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी वृक्ष को गिराने, काटने, हटाने या निस्तारित करने की अनुज्ञा दी गई है, उस क्षेत्र में जहाँ ऐसी अनुज्ञा के अधीन उसने ऐसे वृक्ष को गिराया है, काटा है, हटाया है, या निस्तारित किया है, प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के आरोपण और परिपोषण के लिए बाध्य होगा।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, कम संख्या में वृक्षारोपण करने या किसी अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी व्यक्ति को वृक्ष के आरोपण या परिपोषण के दायित्व से मुक्त कर सकता है।

8. **रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण**—(1) जहाँ परगना अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व-अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी उद्यान अधिकारी, या भूमि संरक्षण अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी भूमि संरक्षण अधिकारी या सहायक अरण्यपाल से अनिम्न श्रेणी के किसी वन अधिकारी की आख्या के आधार पर या अन्य प्रकार से प्रभागीय वन अधिकारी की यह राय हो कि किसी रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए वहाँ वह ऐसे क्षेत्र में स्वामी, अध्यायी या खातेदार को (जिसे आगे अभ्यर्थी कहा गया है) यह कारण बताने का नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न ऐसे क्षेत्र में जो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, वृक्षारोपण किया जाये।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस ऐसे प्रपत्र में दी जायेगी और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे और वह ऐसी रीति से तामील की जायेगी जो विहित की जाये।

(3) प्रभागीय वन अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उसे उतनी संख्या में और उस वर्ग के वृक्षों को लगाने का निर्देश दे सकता है, जो निर्देश में विनिर्दिष्ट हो।

---

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 2001 द्वारा धारा 5 व 6 प्रतिस्थापित जो अधिसूचना संख्या 993/17-वि-1-एक (क)-5-2001, दिनांक 30 अप्रैल, 2001 उ०प्र० असाधारण गजट भाग-1 खण्ड (क), दिनांक 10 अप्रैल, 2001 में प्रकाशित हुआ।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिये गये किसी निवेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्देश के दिनांक से तीस दिन के भीतर सम्बद्ध अरण्यपाल को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

9. धारा 7 और 8 के अधीन दिये गये निर्देशों का कार्यान्वयन—(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारा 7 के अधीन वृक्षारोपण का दायित्व है या जिसे धारा 8 के अधीन कोई निर्देश दिया गया है, यथास्थिति अनुज्ञा के दिनांक से या निर्देश की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर देगा, और आगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जैसा सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी अनुमति दे, ऐसे निर्देशों के अनुसार वृक्षारोपण करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम करने की स्थिति में प्रभागीय वन अधिकारी वृक्षारोपण करा सकता है और ऐसे व्यक्ति से वृक्षारोपण की लागत विहित रीति से वसूल कर सकता है।

10. धारा 4 का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए शास्ति—जो कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े हुए वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञा को किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे कारावास का, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने का, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों का दण्ड दिया जायेगा।

11. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा:

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस अपराध के किये जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जबकि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्ति का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) "निदेशक" का, किसी फर्म के सम्बन्ध में, तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

12. इमारती लकड़ी का समपहरण—(1) जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाय, वहां न्यायालय कोई इमारती लकड़ी या वृक्ष जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो और ऐसे वृक्ष को गिराने में प्रयुक्त उपकरणों को सरकार के प्रति समपहृत किये जाने का आदेश दे सकता है।

(2) इस धारा के अधीन समपहृत किसी इमारती लकड़ी को सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जो विहित की जाये।

13. बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति—(1) वनराजिक से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी या सब इंसपेक्टर से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, बिना वारन्ट में गिरफ्तार कर सकता है;

परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में इस धारा में सब-इंसपेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायेगा मानो वह नायब तहसीलदार के प्रति निर्देश है।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक अधिकारी, बिना आवश्यक विलम्ब किये, और बन्ध-पत्र पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जायेगा या भिजवायेगा।

(3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसके द्वारा, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जब कभी आवश्यक है उपस्थित होने के लिए, बन्ध-पत्र निष्पादित किये जाने पर, छोड़ दिया जायेगा।

14. अभिग्रहण करने की शक्ति—(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए गिराया, काटा या हटाया गया है तो ऐसे वृक्ष का लकड़ी के साथ-साथ ऐसे उल्लंघन में प्रयुक्त नाव, गाड़ीवाहक या पशु भी, यदि कोई हो, वनराजिक से अनिम्न पद के किसी वन अधिकारी या सब इंस्पेक्टर के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा अभिग्रहीत किया जा सकता है।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अभिग्रहण की आख्या उस अपराध पर, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचार करने के लिये अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जायेगी, और ऐसी इमारती लकड़ी, नाव, गाड़ी वाहक या पशु का निस्तारण, ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन रहते हुए, विहित रीति से किया जायेगा।

(3) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो तंग करने के लिए या अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति की गिरफ्तार करता है या किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण इस ख्याल से करता है कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन समपहरण योग्य है, वह कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो छः मास तक हो सकती है या जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

15. अपराधों का प्रशमन कराने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें किसी वन, बाग या सार्वजनिक भूप्रदादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, उस अपराध के लिये प्रशमन के रूप में स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।

(2) किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अधिकारी, ऐसी राशि

का, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहीत सम्पत्ति को छोड़ सकता है।

16. अधिनियम के उल्लंघन की आख्या कतिपय अधिकारियों द्वारा दी जायेगी—प्रत्येक वन अधिकारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पुलिस-कांस्टेबिल, सहायक उद्यान-निरीक्षक या सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षण या उनसे वरिष्ठ किसी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह—

(क) धारा 4 के किसी उल्लंघन की या ऐसा उल्लंघन किये जाने की तैयारी की सूचना, जो उसकी जानकारी में आये, तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को दे; और

(ख) ऐसे उल्लंघन को, जिसे वह जानता हो या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किया जाने वाला है या जिसके लिये किये जाने की सम्भावना है, रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त उपाय करे, जो उसकी शक्ति में है।

17. शास्ति देने या अभिहरण से अन्य दण्ड दिये जाने में हस्तक्षेप नहीं होगा—इस अधिनियम के अधीन शास्ति या किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण, कोई दण्ड देने को नहीं रोकेगा जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय है।

18. अधिकारी लोक सेवक होंगे—इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने वाले अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक-सेवक समझे जायेंगे।

19. धनराशि के भुगतान के लिए आदेश का निष्पादन—कोई धनराशि, जिसमें किसी अपराध के प्रशमन के लिए कोई राशि भी सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निर्देश दिया गया हो, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।

20. कार्यवाहियों पर रोक—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किया हुआ तात्पर्यित किसी कार्य के लिए राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने के लिये शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

21. छूट—ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो अरोपित की जायें, रहते हुए राज्य सरकार, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को या वृक्षों की किसी जाति को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

22. इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे—इस अधिनियम के उपबन्ध, वृक्ष गिराने की प्रतिषिद्धि या विनियमित करने के लिए उस समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

23. वृक्षों के परिरक्षण के लिये राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार, जन साधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वृक्षों का कोई वर्ग ऐसी अवधि तक नहीं गिराया जायेगा जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबन्ध विहित रीति से विनियमित किया जायेगा।

24. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन समपहृत किसी इमारती लकड़ी को सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जो विहित की जाये।

13. बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति—(1) वनराजिक से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी या सब इंसपेक्टर से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, बिना वारन्ट में गिरफ्तार कर सकता है;

परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में इस धारा में सब-इंसपेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायेगा मानो वह नायब तहसीलदार के प्रति निर्देश है।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक अधिकारी, बिना आवश्यक विलम्ब किये, और बन्ध-पत्र पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जायेगा या भिजवायेगा।

(3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसके द्वारा, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जब कभी आवश्यक है उपस्थित होने के लिए, बन्ध-पत्र निष्पादित किये जाने पर, छोड़ दिया जायेगा।

14. अभिग्रहण करने की शक्ति—(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए गिराया, काटा या हटाया गया है तो ऐसे वृक्ष का लकड़ी के साथ-साथ ऐसे उल्लंघन में प्रयुक्त नाव, गाड़ीवाहक या पशु भी, यदि कोई हो, वनराजिक से अनिम्न पद के किसी वन अधिकारी या सब इंस्पेक्टर के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा अभिग्रहीत किया जा सकता है।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अभिग्रहण की आख्या उस अपराध पर, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचार करने के लिये अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जायेगी, और ऐसी इमारती लकड़ी, नाव, गाड़ी वाहक या पशु का निस्तारण, ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन रहते हुए, विहित रीति से किया जायेगा।

(3) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो तंग करने के लिए या अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति की गिरफ्तार करता है या किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण इस व्याज से करता है कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन समपहरण योग्य है, यह कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो छः मास तक हो सकती है या जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

15. अपराधों का प्रशमन कराने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें किसी वन, बाग या सार्वजनिक भूमिहादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, उस अपराध के लिये प्रशमन के रूप में स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।

(2) किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अधिकारी, ऐसी राशि

का, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहीत सम्पत्ति को छोड़ सकता है।

16. अधिनियम के उल्लंघन की आख्या कतिपय अधिकारियों द्वारा दी जायेगी—प्रत्येक वन अधिकारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पुलिस-कांस्टेबिल, सहायक ढलान-निरीक्षक या सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षण या उनसे वरिष्ठ किसी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह—

(क) धारा 4 के किसी उल्लंघन की या ऐसा उल्लंघन किये जाने की तैयारी की सूचना, जो उसकी जानकारी में आये, तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को दे; और

(ख) ऐसे उल्लंघन को, जिसे वह जानता हो या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किया जाने वाला है या जिसके लिये किये जाने की सम्भावना है, रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त उपाय करे, जो उसकी शक्ति में है।

17. शास्ति देने या अभिग्रहण से अन्य दण्ड दिये जाने में हस्तक्षेप नहीं होगा—इस अधिनियम के अधीन शास्ति या किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण, कोई दण्ड देने को नहीं रोकेगा जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय है।

18. अधिकारी लोक सेवक होंगे—इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने वाले अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक-सेवक समझे जायेंगे।

19. धनराशि के भुगतान के लिए आदेश का निष्पादन—कोई धनराशि, जिसमें किसी अपराध के प्रशमन के लिए कोई राशि भी सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निर्देश दिया गया हो, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।

20. कार्यवाहियों पर रोक—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किया हुआ तात्पर्यित किसी कार्य के लिए राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने के लिये शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

21. छूट—ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो अरोपित की जायें, रहते हुए राज्य सरकार, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को या वृक्षों की किसी जाति को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

22. इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे—इस अधिनियम के उपबन्ध, वृक्ष गिराने की प्रतिषिद्धि या विनियमित करने के लिए उस समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

23. वृक्षों के परिरक्षण के लिये राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार, जन साधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वृक्षों का कोई वर्ग ऐसी अवधि तक नहीं गिराया जायेगा जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबन्ध विहित रीति से विनियमित किया जायेगा।

24. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकती है।

[1][24-क. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976 के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध—उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को और किसी विधि या परिनियत संलेख में उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति किसी निर्देश को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

25. निरसन तथा अपवाद—(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम समस्त सारवान समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची-एक

(इमारती लकड़ी वाले वृक्ष)

[धारा 3 (ग्यारह) देखिये]

क्रम० सं०	सामान्य नाम			वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	2			3
1.	अखरोट	...	...	जुगलेंसरिजिया
2.	अर्जुन	...	...	टर्मीनलिया अरजुन
3.	आम	...	...	मैंगीफैरा इण्डिका
4.	इमली	...	...	टमारिनड्स इण्डिका
5.	करधई	...	...	ऐनोगाइसिस पैनडुला
6.	कंजू	...	...	होल्प-टीलिया इनटेग्रिफोलिया
7.	कुसुम	...	...	स्लाइचेरा त्रिजुगा
8.	कैल	...	...	पाइनस एक्सलसा
9.	खरशू	...	...	क्यूरक्स सैमीकरपीफोलिया
10.	खैर	...	...	एकेशिया कटेशू
11.	गूटेल	...	...	ट्रीविया नूडीफ्लोरा
12.	धाऊ/वकली	...	...	एनोग्राइसस लैटीफोलिया
13.	चन्दन	...	...	सन्टाइलम एलबम
14.	चमखरिक	...	...	करपिनस विमीनिया
15.	चिरौंजी	...	...	बुचनैनिया लैटिफोलिया

1. अधिसूचना संख्या 1425/सत्रह वि-1-1-(क) 21/1998 लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 1998 द्वारा बढ़ाया गया।

1	2			3
16.	चीड़	...	...	पाइनस रोक्सबरगाई
17.	जामुन	...	...	साइजीयम क्युमिन
18.	ढाक/पलास	...	...	ब्यूटिया मोनसपरमा (केवल मिर्जापुर, वाराणसी, बांदा और झांसी जिलों के लिये)
19.	तुगी	...	...	सिड्रेला सेरटा
20.	तून	...	...	सिड्रेला तूना
21.	तेन्दू	...	...	डायस पायरेस टोमेंनटोसा
22.	देवदार	...	...	सीड्रस दिओदारा
23.	नीम	...	...	अजेडिरेक्टा इण्डिका
24.	पपरी/सन्सदू/चिकड़ी	...	...	बोसवैलिया सेरेन्स
25.	फलियांट	...	...	पनेरकस ग्लाका
26.	बकाइन	...	...	मेलिया एजेडरेक
27.	बहेड़ा	...	...	टर्मीनलिया, बैलिरिका
28.	बांच	...	...	क्यूरकस इनकाना
29.	महुआ	...	...	मधुका लैटिफोलिया
30.	मोरिन्डा	...	...	ऐबीज पिनडरू
31.	मौरू	...	...	मधूरसक्स डाइलेटा
32.	राय	...	...	पौसिया मोरिण्डा
33.	रियांज	...	...	क्वेरकस लेनीजीनोसा
34.	शीशम	...	...	डलबर्जिया सिसू
35.	सलई	...	...	बौसबेलिया सेरेटा
36.	सागौन	...	...	टेक्टोना ग्रेन्डिस
37.	साल	...	...	शोरिया रोबस्टा
38.	सिरिस	...	...	ऐल्बिज्जिया स्पेसिज
39.	सईआसना	...	...	टर्मीनोलिया टोमेनटोसा
40.	सेमल	...	...	सलमेलिया मेलाबरिका
41.	हरं	...	...	टर्मीनलिया चेबुला
42.	हल्दू	...	...	ऐडीन कार्डिफोलिया

अनुसूची-दो

(फल वाले वृक्ष)

[धारा 3 (ग्यारह) देखिये]

क्रम० सं०	सामान्य नाम			वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1.	अनार	...	...	पुनिका ग्रेन्टम
2.	अमरूद	...	...	पैसीडियम गाउवा
3.	आड़ू	...	...	प्रनुनस परसिका
4.	आलू बुखारा	...	...	प्रूनस कम्यूनिस
5.	आम	...	...	मैंगीफेरा इण्डिका
6.	आंवला	...	...	एम्बिलिका आफीसेनेल
7.	कटहल	...	...	आरटोकारपस इन्तिग्रिफोलिया
8.	खुबानी	...	...	प्रूनस एरमैनाइका
9.	नाशपाती	...	...	प्यूरस कम्यूनिस
10.	नारंगी, नीबू माल्टा, मुसम्मी, सन्तरा	...	...	सभी तरह के सिटरस
11.	लीची	...	...	नैफेलियम लिची
12.	शरीफा	...	...	एनीनास्कयूमोसा
13.	सेब	...	...	प्यूरस मेलस

अनुसूची-तीन

(ईंधन वाले वृक्ष)

[धारा 3 (ग्यारह) देखिये]

अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न वृक्ष।

विज्ञप्ति

[1][उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा 3 के खण्ड III और X के अधीन और विज्ञप्ति संख्या 72/XIV-3-377-76, दिनांक 20 जनवरी 1982 में अन्तर्विष्ट शक्ति के प्रयोग में राज्यपाल निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारियों और पुनरीक्षण प्राधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन, निम्नलिखित क्षेत्रों और वृक्षों के लिए क्रमशः सक्षम प्राधिकारी और पुनरीक्षण अधिकारी पर अधिरोपित या प्रदत्त कर्तव्यों को सम्पन्न करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त करते हैं—

1. परती भूमि विकास अनुभाग, विज्ञप्ति संख्या 4448/XIV परती भूमि विकास अनुभाग, दिनांक 23 सितम्बर 1993, उत्तर प्रदेश असाधारण राजपत्र भाग 4 अनुभाग (क) दिनांक 23 सितम्बर 1993, पृष्ठ 2 पर प्रकाशित।

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानिकर प्रतिष्ठानों और आवास योजनाओं का विनियमन) अधिनियम, 1985 उ०प्र० अधिनियम संख्या 18 सन् 1985) के अधीन विज्ञापित फल क्षेत्रों के लिए—

वृक्षों का वर्ग	सक्षम प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
1	2	3
फल	1. मण्डलीय निदेशक/मण्डलीय वन अधिकारी 2. जिला उद्यान अधिकारी	सम्बन्धित वन संरक्षक, क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी